न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
749/2024	11.09.2024	13-1-25

उनवान

1. श्यामा पुत्र श्री पेमा भील जाति भील निवासी कांवलास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा —— वादी

बनाम

1. श्री छीतर आत्मज श्री सोहन भील निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. श्री किशन पुत्र श्री सोहन भील निवासी— पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. डाली पत्नी स्व० श्री नारू भील निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. नंदू पुत्री स्व० श्री नारू भील निवासी— पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. नारायण पुत्र स्व० श्री नारू भील निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. बंशी पुत्र स्व० श्री नारू भील निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. राजू पुत्र श्री सोहन भील आयु नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती कमला बाई पत्नी स्व० श्री सोहन जी भील निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. राधेश्याम पुत्र सोहन भील आयु नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती कमला बाई पत्नी स्व० श्री सोहन जी भील निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. राज़स्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा। —— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. वादीगण अधिवक्ता श्री रतनलाल जाट उपस्थित।
2. विपक्षीगण अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 जा०दी० व धारा 151 जा०दी०
बाबत् एक पक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री 27.09.2024 को निरस्त कराये जाने

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण राधेश्याम पुत्र सोहन, कमला पत्नि सोहन जाति भील आयु क्रमश बालिग निवासी पालड़ी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०), नारायण, बंशी पुत्र नारू, डाली पत्नि नारू जाति भील आयु क्रमश बालिग निवासी पालड़ी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाड़ा (राज०) अपना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 जा०दी० व धारा 151 जा०दी० का निम्न प्रकार प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि ग्राम पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2296/810 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2297/1122 रकबा 0.7208 हैक्टेयर कुल किता 02 दो कुल रकबा 0.8599 हैक्टेयर भूमि का वादी ने अपने 1/3 हिस्सा का विभाजन किया जाने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद दिनांक 11.09.2024 को प्रस्तुत किया, जो वाद जॉच होकर, दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को न्यायालय में दिनांक 27.09.2024 को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किये गये, किन्तु इस न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु प्रतिवादीगण को किसी प्रकार के नोटिस प्राप्त नही हुऐ थे, प्रतिवादीगण के फर्जी हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशानियां लगाई गई व दिनांक 27.09.2024 से पूर्व ही पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका था तथा दिनांक 27.09.2024 को किसी भी अधिकारी ने न्यायालय में कोर्ट नही ली, दिनांक 27.09.2024 की सभी पत्रावलीयो में पैशियां तब्दील की गई थी, उसके बावजूद भी दिनांक 27.09.2024 को प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने पर, वादी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर विभाजन किया जाने हेतु एक पक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.09.2024 को जारी गई, जिसे निरस्त फरमाई जाकर, प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु समुचित एवं प्रर्याप्त अवसर प्रदान कराया जावें ताकि प्रतिवादीगण अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.09.2024 की पालना कराये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को पत्र जारी किया गया, उक्त पत्र को तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा पटवारी हल्का पालड़ी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक सांगानेर को भेजा गया, जिनके द्वारा विभाजन किया जाने हेतु मौके पर प्रतिवादीगण को उपस्थित हेतु सूचना जारी की गई, जिसमें भी प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, प्रतिवादीगण के फर्जी हस्ताक्षर एवं फर्जी अंगुठा निशानियां लगाकर, वादी से मिला भगती कर, अपने मनमकसुद तरीके से विभाजन प्रस्ताव बनवा लिया, जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो चूका है, जो प्रतिवादीगण को स्वीकार नही है, ऐसे विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ती दर्ज की जाकर, अन्तिम डिक्री जारी की जाने पर रोक लगाई जावें व विभाजन किया जाने हेतु दिनांक 27.09.2024 को जो एक पक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री जो जारी की है, उसे निरस्त फरमाई जावें। वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष ने इन्ही आराजियात व इन्ही पक्षकारो के विरूद्ध विभाजन किये जाने का वाद प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 417/2024 राजस्व वाद दर्ज होकर प्रतिवादीगण को सूचना पत्र जारी हुए, जो प्रतिवादीगण को सूचना पत्र प्राप्त होने पर जरिए अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित हुऐ व उक्त पत्रावली में जवाब हेतु दिनांक 11.11.2024 को पेशी नियत होकर पत्रावली न्यायालय के यहाँ विचाराधीन होने के बावजूद भी वादी ने न्यायालय को मुगालते व धोखे में रखते हुए, वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध इन्ही आराजियात व इन्ही पक्षकारों के विरूद्ध नया वाद प्रकरण संख्या 749/2024 प्रस्तुत कर, तामीले पर प्रतिवादीगण के फर्जी हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशानियां लगवाकर, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर, विभाजन कराये जाने हेतु एक पक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.09.2024 को जारी की है, जो निरस्त होने लायक है।

ग्राम पालड़ी प०ह० पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 के खाता संख्या 270 में वर्णित आराजी नम्बर 2201/810, 2202/1112 कुल किता 02 कुल रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदार बालू, नारू, सोहन पिता उदा, मांगी बेवा भोला, खन्नी बेवा उदा भील के नाम पर शामलती में दर्ज थी, खातेदार मांगी बेवा भोला भील का हिस्सा जो अपने पति भोला पिता उदा की विरासत से प्राप्त हुआ, उसे जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के गोपी पिता बालू भील को विक्रय कर दी, उसके पश्चात् मांगी बेवा भोला भील को अपनी सासु खन्नी बेवा उदा की विरासत से जो हक व हिस्सा प्राप्त हुआ, उसे भी जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के गोपी पिता बालु भील का विक्रय कर दी, इसके बाद मांगी बेवा मोला भील का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं बचा, आराजी नम्बर 2201/810, 2202/1112 कुल किता 02 दो कुल रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा भूमि का खातेदार के मध्य सहमति बंटवाड़ा हुआ उसमें आराजी नम्बर 2296/810 रकबा 11 बिस्वा, 2297/1112 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण के खाते में रखी गई, जिसमें 1/2 हिस्सा नारू पिता उदा भील के वारीसान का एवं 1/2 हिस्सा सोहन पिता उदा भील के वारीसान का निहित है लेकिन विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जमाबन्दी में अमल किया, उसमें बिना किसी आधार एवं सेहवन व गलती से आराजी नम्बर 2296/810 रकबा 11 बिस्वा, 2297/1112 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा भूमि में नारू पिता उदा भील के वारीसान एवं सोहन पिता उदा भील के वारीसान के साथ मांगी बेवा भोला भील का नाम अंकित हो गया, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुऐ मांगी बेवा भोला भील का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही होते हुऐ भी मांगी बेवा भोला भील ने 1/3 हिस्से का विक्रय पत्र वादी श्यामा भील के पक्ष में निष्पादित कर दिया, जिससे उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी श्यामा का 1/3 हिस्सा दर्ज है, जो प्रतिवादीगण के हक व अधिकारें के मुकाबले में अवैध व शून्य है, वादी को किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त नही होगा, अतः न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 27.09.2024 को विभाजन किया जाने हेतु पारित एक पक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री को निरस्त फरमाया जावें,। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 जा०दी० व धारा 151 जा०दी का स्वीकार कर एक पक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.09.2024 को निरस्त कर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर वादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि राधेश्याम, कमला वाद में पक्षकार नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि कि खातेदार भी नहीं है इस कारण राधेश्याम व कमला को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। सभी प्रतिवादीगण पर न्यायालय द्वारा जारी सम्मन कि प्रोपर तामिल हुई है प्रतिवादीगण के बैरोज पेशी न्यायालय मैं हाजीर नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 27–09–2024 को निर्णय पारित किया गया और प्रारंभिक डिकी जारी की गई। न्यायालय श्रीमान द्वारा जारी डिकी की पालना में बटवाडा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व प्रतिवादीगण प्रस्ताव को नोटिस जारी किये गये जिसकी भी प्रोपर तामिल हुई है। बटवाडी न्यायालय में पेश हो चुका है प्रकरण अन्तिम डिकी जारी करने हेतु विचाराधीन है। इस कारण न्यायालय द्वारा सही तौर डिकी पारित नहीं की गयी है। इस कारण डिकी निरस्त होने योग्य नहीं है। मनमकसुद तौर बटवाडा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है इस कारण प्रारंभिक डिकी अपास्त होने योग्य नहीं है।

प्रकरण स. 417/24 को विड्रो करने हेतु वादी ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत, दिया था। परन्तु सेवन से प्रार्थनापत्र पत्रावली से कही मिस हो गया है। प्रतिवादीगण के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर जानकारी में आया है। जानकारी में आते ही वादी ने प्रकरण स. 417/24 को विड्रो करने का प्रार्थनापत्र पेश कर दिया है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में प्रत्येक खातेदार का अपना अपना हिस्सा दर्ज है राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिकी जारी की गयी है। अगर प्रतिवादीगण को राजस्व रेकॉर्ड मे गलत इन्द्राज को लेकर कोई आपत्ती हो तो प्रतिवादीगण इसके लिए अलग से इन्द्राज दूरस्ती, घोषणा का वादपत्र पेश करने के लिए स्वतन्त्र है। विभाजन के वाद में प्रतिवादीगण के उक्त ऐतराज मान्य नहीं है। राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज खातेदारो के बीच ही विभाजन की डिकी पारित कि जा सकती है वादी ने वादग्रस्त भूमि मे 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के मांगी भील से क्रय किया है। रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की निरस्त करने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। इस कारण यह प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है। प्रांरभिक डिकी अपास्त होने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज कराया जावें।

वाद प्रकरण संख्या 749/2024 में प्रार्थीगण पक्षकारान के विवाद्यको के स्थिरिकरण के सम्मन रजिस्टर्ड जारी किये सम्मन डिलीवर रिपोर्ट प्राप्त हुयी नियत दिनांक 03.01.2025 को प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं हुये। प्रार्थीगण प्रतिवादी अधिवक्ता ने दिनांक 09.01.2025 को बहस में भाग लिया। प्रार्थीगण प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र आदेश–09 नियम– 13 जा0दी0 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एक पक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 27.09.2024 को अपास्त कर प्रार्थीगण प्रतिवादी की सुनवाई करायी जाये।

प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी को विधिवत तामील करा दी गयी। वादी ने प्रकरण संख्या 417/2024 को विड्रो करने का प्रार्थना पत्र पूर्व में ही दिनांक16.12.2024 को प्रस्तुत कर दिया गया है। राजस्व रेकार्ड में प्रत्येक खातेदार का हिस्सा दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रत्येक खातेदार का हिस्से अनुसार ही दिनांक 27.09.2024 को प्राथमिक डिकी जारी की गयी है। आराजी नम्बर 2201/810, 2202/1112 कुल किता 02 कुल रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा भूमि के विभाजन के सम्बन्ध में जो आक्षेप किया उसके लिये प्रार्थीगण को न्यायालय निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बटवाड़ा

प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.09.2024 की पालना में तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक / भू0अ0 / 2024 / 2560 दिनांक 09.10.2024 इस प्रकार है :—

ग्राम पालडी पटवार हल्का पालडी, भू0अ0नि0 क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा

क्र. सं.	खातेदार का नाम	आराजी न0	रकबा (है0)
01	श्यामा पुत्र पेमा भील सा0 कांवलास तह0 आसीन्द भीलवाडा खातेदार	2297 / 1112 / 1	0.2866
		कुल किता 01 कुल रकबा 0.2866 हैक्टेयर भूमि	
02	कमला बाई पत्नी स्व0 सोहन, किशन पुत्र सोहन, छीतर पुत्र सोहन, ना0बा0 राजु पुत्र सोहन, ना0बा0 राधेश्याम पुत्र सोहन, सरपरस्त माता कमला बाई, डाली पत्नी स्व0 नारू, नन्दु पुत्री नारू, नारायण पुत्र नारू, बंशी पुत्र नारू भील सा0 देह खातेदार	2296 / 810	0.1391
		2297 / 1112 / 2	0.4342
		कुल किता 02 कुल रकबा 0.5733 हैक्टेयर भूमि	

उपरोक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करते हुये अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 13-01-25 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 06–07 जा0 दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:–दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या
749 / 2024

दायर दिनांक
11.09.2024

निर्णय दिनांक
13-01-25

1. श्यामा पुत्र श्री पेमा भील जाति भील निवासी कांवलास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

उनवान

बनाम

1. श्री छीतर आत्मज श्री सोहन भील निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. श्री किशन पुत्र श्री सोहन भील निवासी– पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. डाली पत्नी स्व० श्री नारू भील निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. नंदू पुत्री स्व० श्री नारू भील निवासी– पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. नारायण पुत्र स्व० श्री नारू भील निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. बंशी पुत्र स्व० श्री नारू भील निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. राजू पुत्र श्री सोहन भील आयु नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती कमला बाई पत्नी स्व० श्री सोहन जी भील निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. राधेश्याम पुत्र सोहन भील आयु नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती कमला बाई पत्नी स्व० श्री सोहन जी भील निवासी पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. **वादीगण अधिवक्ता श्री रतनलाल जाट उपस्थित।**
2. **विपक्षीगण अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0
बाबत् एक पक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री 27.09.2024 को निरस्त कराये जाने

वादी की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वर लाल जाट उपस्थित। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 13-01-25 पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :–

ग्राम पालडी पटवार हल्का पालडी, भू0अ0नि0 क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा

क्र. सं.	खातेदार का नाम	आराजी न0	रकबा (है0)
01	श्यामा पुत्र पेमा भील सा0 कांवलास तह0 आसीन्द भीलवाडा खातेदार	2297 / 1112 / 1	0.2866
		कुल किता 01 कुल रकबा 0.2866 हैक्टेयर भूमि	
02	कमला बाई पत्नी स्व0 सोहन, किशन पुत्र सोहन, छीतर पुत्र सोहन, ना0बा0 राजु पुत्र सोहन, ना0बा0 राधेश्याम पुत्र सोहन, सरपरस्त माता कमला बाई, डाली पत्नी स्व0 नारू, नन्दु पुत्री नारू, नारायण पुत्र नारू, बंशी पुत्र नारू भील सा0 देह खातेदार	2296 / 810	0.1391
		2297 / 1112 / 2	0.4342
		कुल किता 02 कुल रकबा 0.5733 हैक्टेयर भूमि	

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद कार्यवाही करें, प्रस्तावित नक्शा निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा